



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2107]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 26, 2016/भाद्र 4, 1938

No. 2107]

NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 26, 2016/BHADRA 4, 1938

शहरी विकास मंत्रालय

(दिल्ली डिवीजन)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 अगस्त, 2016

**का.आ. 2790(अ).**—जबकि केन्द्र सरकार ने दिल्ली मुख्य योजना-2021 में इसके समीक्षा कार्य के भाग के रूप में कुछ संशोधन करने का प्रस्ताव किया है, जिन्हें दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा 44 के प्रावधानों के अनुसरण में उक्त सूचना की तिथि से तीस दिनों के अंदर उक्त अधिनियम की धारा 11क की उपधारा (3) द्वारा यथा-अपेक्षित आपत्तियाँ/सुझाव आमंत्रित करने के लिए सार्वजनिक सूचना का.आ.सं. 555 (अ) दिनांक 22 फरवरी, 2016 के रूप में भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किया गया था ।

2. जबकि प्रस्तावित संशोधनों के संबंध में प्राप्त की गयी आपत्तियों/सुझावों पर दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा गठित जांच एवं सुनवाई बोर्ड द्वारा विचार किया गया था और दिल्ली विकास प्राधिकरण की बैठक में उन्हें अनुमोदित भी किया गया था ।

3. जबकि केन्द्र सरकार ने मामले के सभी पहलुओं पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद दिल्ली मुख्य योजना-2021 को संशोधित करने का निर्णय किया है ।

4. अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 11-क की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से उक्त दिल्ली मुख्य योजना-2021 में निम्नलिखित संशोधन करती है ।

संशोधन :

1. विकास नियंत्रणों के संबंध में अध्याय-8 में संशोधन – सरकारी कार्यालय

विद्यमान तालिका 8.2 और निम्नलिखित टिप्पणियां, निम्नलिखित का स्थान लेगी :

तालिका 8.2 सरकारी भूमि उपयोग श्रेणी हेतु योजना मानक एवं विकास नियंत्रक						
क्र.सं.	श्रेणी	जनसंख्या इकाई (लगभग)	प्लॉट का क्षेत्रफल	तल कवरेज (%)	एफ.ए.आर. **	पार्किंग (ई. सी.एस./100 वर्ग मीटर तल क्षेत्रफल)
1.	जिला न्यायालय, एकीकृत कार्यालय परिसर, सरकारी कार्यालय (केन्द्र/राज्य सरकार स्थानीय निकाय)	आवश्यकतानुसार	1 हेक्टेयर* तक	50	300	2

अन्य नियंत्रण :

\* केवल सभी नए आवंटनों हेतु। पहले से आवंटित भूमि इस प्रावधान में शामिल नहीं।

\*\* क्षेत्रीय विकास योजनाओं में दिए गए अन्य प्रावधानों के सहित जोन ओ और जोन सी एवं जोन डी के बंगला क्षेत्र में अवस्थित उपयोग परिसरों हेतु अधिकतम एफ.ए.आर. 200 होगा।

- i- रिहायशी उपयोग—रिहायशी कार्यकलाप हेतु अनुमेय एफ.ए.आर. का अधिकतम 5 प्रतिशत तक उपयोग किया जा सकता है।
- ii- ऊंचाई — भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण दिल्ली अग्निशमन सेवा और अन्य सांविधिक निकायों से मंजूरी की शर्त के अधीन कोई सीमा नहीं।
- iii- सैटबैक, तहखाना, सेवा नक्शों इत्यादि हेतु विकास संहिता के अध्याय 17.0 के अनुसार अन्य नियंत्रण।
- iv- पुनर्विकास के मामले में पैरा 8.2 में यथा उल्लिखित मौजूदा सरकारी भवनों/भूमि के गहन उपयोग हेतु निम्नलिखित लागू होंगे :-
  - पुनर्विकास कार्य को वित्तीय रूप से व्यवहार्य बनाने के लिए व्यावसायिक उपयोगों हेतु कुल अनुमेय एफ.ए.आर. का 10 प्रतिशत उपयोग। यह भू स्वामी एजेंसी और संबंधित स्थानीय निकाय के अनुमोदन की शर्त के अधीन होगा।
- v- प्लॉट के आकार में 10 प्रतिशत तक के अंतर की अनुमति है। विशेष क्षेत्र, नियमित अनधिकृत कॉलोनियों, शहरी गांवों और पुनर्वास कॉलोनियों पर विशिष्ट मानक लागू होंगे।
- vi- सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/व्यावसायिक कार्यालय कुल तल क्षेत्रफल के 10 प्रतिशत तक होंगे।

तालिका 8.3 उप उपयोग जोनों में परिभाषाएं और अनुमेय उपयोग परिसर			
क्र.सं.	श्रेणी	परिभाषाएं	अनुमत कार्यकलाप
1.	एकीकृत कार्यालय परिसर/सरकारी कार्यालय (केन्द्र/राज्य सरकार/स्थानीय निकाय)	केन्द्र सरकार, स्थानीय सरकार और स्थानीय निकायों के कार्यालय हेतु प्रयुक्त परिसर	सरकारी कार्यालय, रिहायशी (एफ.ए.आर. का अधिकतम 5 प्रतिशत), कैमिस्ट, पुस्तक एवं लेखन सामग्री, किराना की फुटकर दुकान, कैंटीन, डाकघर, बैंक के एक्सटेंशन काउंटर इत्यादि
2.	जिला न्यायालय/परिवार न्यायालय	न्यायिक कार्यालयों हेतु प्रयुक्त परिसर	न्यायालय, रिहायशी (एफ.ए.आर. का अधिकतम 5 प्रतिशत), कैंटीन, रेस्तरां, सहायक सेवाएं और फुटकर दुकान, पुस्तकालय, डिस्पेंसरी, प्रशासनिक कार्यालय, बैंक, डाकघर, पुलिस पोस्ट, फायर पोस्ट, वकील-चैम्बर।

2. विकास नियंत्रणों के संबंध में अध्याय 13 में संशोधन—सार्वजनिक अर्ध—सार्वजनिक (सरकारी उपयोग परिसर)

तालिका 13.10, 13.11, 13.12 और 13.13 के स्थान पर निम्नलिखित तालिका होगी :

तालिका 13.10 : सार्वजनिक अर्द्ध-सार्वजनिक (सरकारी उपयोग परिसर) हेतु योजना मानक एवं विकास नियंत्रण।						
क्र.सं.	श्रेणी	जनसंख्या/इकाई (लगभग)	प्लॉट का क्षेत्रफल	अधिकतम तल कवरेज (%)	एफ. ए. आर. **	पार्किंग (ई.सी.एस. /100 वर्ग मीटर तल क्षेत्रफल)
1.	यातायात और पुलिस नियंत्रण कक्ष	आवश्यकतानुसार	1. स्थल व्यवहार्यता के आधार पर मार्गाधिकार के रूप में मुख्य सड़कों जंक्शनों / फैंलावों इत्यादि की आवश्यकतानुसार। 2. अधिकतम क्षेत्रफल—25 वर्ग मी.	लागू नहीं		
2.	पुलिस आउट पोस्ट	आवश्यकतानुसार, सभी उपयोग परिसरों/क्षेत्रों में अनुमेय और आवश्यकतानुसार योजना में, उपलब्ध कराई जाएगी।	150 वर्ग मी. तक	75	300	1.33
3.	पुलिस चौकी, अग्निशमन चौकी	1.0 लाख	2500 वर्ग मी. तक	50	300	2.0
4.	पुलिस स्टेशन, फायर स्टेशन	2.5 लाख	1 हैक्टेयर तक	50	300	2.0
5.	पुलिस लाइन, जिला कार्यालय और बटालियन	जिला/प्रत्येक प्रशासनिक क्षेत्र के लिए एक	1 हैक्टेयर तक	50	300	2.0
6.	जिला कारागार	25.0 लाख	2 हैक्टेयर तक	50	300	2.0
7.	केंद्रीय पुलिस संगठन/सुरक्षा बलों, आपदा प्रबंधन केंद्र सहित पुलिस प्रशिक्षण संस्थान/कॉलेज, अग्निशमन प्रशिक्षण संस्थान/कॉलेज, पुलिस फायरिंग रेंज, पुलिस कैम्प	बाहरी स्तर	5 हैक्टेयर तक	50	300	2.0

अन्य नियंत्रण :

\*\* क्षेत्रीय विकास योजनाओं में दिए गए अन्य प्रावधानों के सहित जोन ओ और जोन सी एवं जोन डी के बंगला क्षेत्र में अवस्थित उपयोग परिसरों हेतु अधिकतम एफ.ए.आर. 120 होगा।

- i- रिहायशी उपयोग – रिहायशी गतिविधियों के लिए अनुमेय एफ.ए.आर. के अधिकतम 30 प्रतिशत का उपयोग किया जा सकता है। आवासीय घटकों के भीतर अनुमति प्राप्त गतिविधियां आवासीय प्लॉट-समूह आवास के अनुसार होंगी।

- ii- ऊंचाई – कोई सीमा नहीं, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, दिल्ली अग्निशमन सेवा और अन्य साविधिक निकायों से अनुमति प्राप्त करने की शर्त पर।
- iii- अध्याय 17.0 विकास कोड के अनुसार सैटबैक, तहखाना, सेवा प्लान्स आदि के लिए अन्य नियंत्रण।
- iv- पुनर्विकास के मामले में पैरा 8.2 में यथा उल्लिखित मौजूदा सरकारी भवनों/भूमि के गहन उपयोग हेतु निम्नलिखित लागू होंगे :-  
– पुनर्विकास के कार्य को वित्तीय रूप से व्यवहार्य बनाने के लिए व्यवसायिक उपयोगों हेतु कुल अनुमेय एफ.ए.आर. का 10 प्रतिशत उपयोग।
- v- उपर्युक्त तालिका में उल्लिखित श्रेणियों के अन्दर उपयोग परिसरों जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा स्थापनाओं और आपदा प्रबंधन इकाइयों को अनुमति दी जाएगी।

तालिका 13.11 – हटा दी गई है।

तालिका 13.12 – हटा दी गई है।

तालिका 13.13 – हटा दी गई है।

3. तालिका संख्या 13.24 एवं तालिका संख्या 13.25 में पुलिस आउटपोस्ट और राष्ट्रीय सुरक्षा स्थापनाओं / आपदा प्रबंधन इकाइयों के लिए नए प्रावधान।

तालिका संख्या – 13.24 सुरक्षा सुविधाएं			
क्र.सं.	उपयोग परिसर	परिभाषाएं	अनुमत गतिविधियाँ
11	पुलिस आउट पोस्ट	एक ऐसा परिसर जिसमें ऐसे क्षेत्र में सुरक्षा और कानून एवं व्यवस्था प्रदान करने के लिए सुविधा हो, जहां हाई फुट फाल्स हो जैसे :- मॉल, शॉपिंग परिसर, सांस्थानिक क्षेत्र, रेल/बस/एयर टर्मिनल इत्यादि।	पुलिस आउट पोस्ट, एन.सी.आर. (गैर संज्ञेय रिपोर्ट) की रिकॉर्डिंग और आपात उपकरणों को स्टोर करने के सुविधा वाले अधिकारियों के कक्ष, टॉयलेट और नहाने की सुविधा सहित डोरमेटरी, रसोईघर इत्यादि।
12	राष्ट्रीय सुरक्षा स्थापनाएं	ऐसा परिसर जिसमें समय-समय पर भारत सरकार द्वारा परिभाषित/अधिसूचित या राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों की जिम्मेदारी वाली स्थापनाएं हों।	यदि आवश्यक हो तो प्राथमिक चिकित्सा सुविधा इमरजेंसी बैकअप, अस्थायी संचार केंद्र, आपदा की तैयारी, पहरा एवं निगरानी आवास (20 वर्ग मी. तक) और संबंधित सुविधाएं।

तालिका संख्या – 13.25 : सुरक्षा अग्निशमन			
क्र.सं.	उपयोग परिसर	परिभाषाएं	अनुमत गतिविधियाँ
6	आपदा प्रबंधन इकाइयां	एक ऐसा परिसर जिसमें समय-समय पर भारत सरकार द्वारा परिभाषित/अधिसूचित या आपदा प्रबंधन के मामलों की जिम्मेदारी वाली स्थापनाएं हों।	यदि आवश्यक हो तो प्राथमिक चिकित्सा सुविधा, इमरजेंसी बैकअप, अस्थायी संचार केंद्र, आपदा की तैयारी, पहरा एवं निगरानी आवास (20 वर्ग मी. तक) और संबंधित सुविधाएं।

तालिका संख्या 3.3 एवं तालिका 3.4 में प्रस्तावित संशोधन

तालिका 3.3 बाहरी विकास का श्रेणीबद्ध गठन						
स्तर	सुविधाएं	क्षेत्रफल वर्ग मीटर में			उपलब्ध/निर्दिष्ट किया जाएगा	
		संख्या	प्रति इकाई	कुल	एल.ओ. पी.	जैड पी*

1	2	3	4	5	6	7
3. समुदाय जनसंख्या-1,00,000	7. पुलिस चौकी / अग्निशमन चौकी	1	2,500 तक	2,500 तक	●	
4. जिला जनसंख्या-5,00,000	9. पुलिस स्टेशन	2.	1 हैक्टेयर तक	2 हैक्टेयर तक	●	●
	10. अग्निशमन स्टेशन (5 से 7 कि.मी. के घेरे में)	2	1 हैक्टेयर तक	2 हैक्टेयर तक	●	●

तालिका 3.4 नगर स्तर पर सुविधाएं :-

सुविधाएं	संख्या	क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)
2. जिला कार्यालय एवं बटालियन	प्रत्येक प्रशासनिक जोन हेतु 1	1.0 तक
3. पुलिस लाइन		1.0 तक
4. जिला जेल	1	25 लाख की जनसंख्या
5. पुलिस प्रशिक्षण संस्थान / कॉलेज	नगर स्तर (सीमावर्ती क्षेत्र में अवस्थित होगा)	5.0 तक
6. पुलिस फायरिंग रेंज		
7. पुलिस कैम्प		
10. अग्निशमन प्रशिक्षण संस्थान / कॉलेज	नगर स्तर (शहरी विस्तार में एक स्थल)	5.0 तक
11. आपदा प्रबंधन केन्द्र	प्रत्येक प्रशासनिक जोन हेतु 1	सॉफ्ट पार्किंग, अस्थायी आश्रय, परेड ग्राउंड आदि के लिए उपयुक्त खुले क्षेत्र के सहित 5.0 हैक्टेयर तक।

#### 4. अध्याय 3 और अध्याय 13 में सामाजिक-सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए विकास नियंत्रण मानदंडों हेतु संशोधन :

क. तालिका 3.3 बाहरी विकास का श्रेणीबद्ध गठन।

स्तर	सुविधाएं	क्षेत्रफल वर्ग मीटर में			उपलब्ध/निर्दिष्ट किया जाएगा	
		संख्या	प्रति इकाई	कुल	एल.ओ.पी.	जैडपी*
1	2	3	4	5	6	7
5. क्षेत्रीय/उपनगरीय जनसंख्या 10,00,000	17. सामाजिक सांस्कृतिक केन्द्र	आवश्यकतानुसार			●	

ख. तालिका 13.16 सामाजिक-सांस्कृतिक सुविधाओं हेतु योजना मानदंड और मानक

क्रम संख्या	श्रेणी	जनसंख्या/इकाई (लगभग)	प्लॉट क्षेत्रफल
7	सामाजिक सांस्कृतिक केन्द्र	उपनगर स्तर	आवश्यकतानुसार

ग. तालिका 13.17 सामाजिक सांस्कृतिक सुविधाओं हेतु विकास नियंत्रण

क्रम संख्या	श्रेणी	अधिकतम			अन्य नियंत्रण
		तल कवरेज	एफ.ए.आर	ऊंचाई	
7	सामाजिक-सांस्कृतिक केन्द्र	40 प्रतिशत	120	कोई सीमा नहीं, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, अग्निशमन विभाग और अन्य	1. पार्किंग मानक @ 2 ई.सी.एस./तल क्षेत्रफल का 100 वर्ग मी.। 2. सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधियां तल क्षेत्रफल का

				सांविधिक निकायों से अनुमोदन की शर्त पर	न्यूनतम 40 प्रतिशत होनी चाहिए। रिटेल ट्रेड, कार्यालय स्थल/व्यावसायिक कार्यालय, होटल और संबंधित गतिविधियां तक क्षेत्रफल की अधिकतम 60 प्रतिशत होनी चाहिए।
<b>घ. तालिका 13.27 सामाजिक सांस्कृतिक और सामुदायिक सुविधाएं</b>					
क्र. सं.	उपयोग परिसर	परिभाषाएं	अनुमत गतिविधियां		
26.	सामाजिक सांस्कृतिक केन्द्र	एक परिसर जिसमें संस्कृति तथा अन्य कार्यकलापों को बढ़ाने वाली सुविधाएं, जिसमें परंपराएं अथवा जीवंत अभिव्यक्ति जैसे मौखिक परंपरा, कलाओं का प्रदर्शन, सामाजिक अभ्यास, धार्मिक कृत्य, उत्सव संबंधी कार्यक्रम, प्रकृति और ब्रह्मांड संबंधी ज्ञान तथा अभ्यास अथवा ज्ञान एवं कुशलता हो।	तालिका 13.17 और तालिका 5.5 के अनुसार गतिविधियों की अनुमयता सहित सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए आउटडोर स्थान/रंगमंच, म्यूजियम (कला, सांस्कृतिक शिल्पकृति, प्राकृतिक इतिहास, विज्ञान, समाज आदि), प्लेनेटैरियम, ऑडिटोरियम, प्रदर्शनी क्षेत्र, सम्मेलन केंद्र, साहित्यिक/फिल्म महोत्सव, फिल्म केंद्र, बहुद्देशीय प्रशिक्षण और बैठक कक्ष, जन शिक्षा हेतु क्षेत्र, प्रलेखन केंद्र, पुस्तकालय, अस्थायी और स्थायी प्रदर्शनी क्षेत्र, व्यावसायिक कार्यालय/खुदरा दुकानें, गेस्ट रूम, होटल।		

**5. अध्याय 11 में उपयोग जोन में उप खण्ड 8 (2) उपयोग परिसरों की अनुमति में संशोधन :**

क्र.सं.	उपयोग परिसर	उपयोग जोन				
		आरडी	सी <sub>1</sub>	सी <sub>2</sub>	एम	पीएस
पीएस	सार्वजनिक और अर्धसार्वजनिक सुविधाएं					
ix	सुविधाएं—बस टर्मिनल, टैक्सी स्टैण्ड, दूध/सब्जी बूथ, धार्मिक परिसर, वेडिंग सूथ, पेट्रोल/सी.एन.जी. फिलिंग पम्प, मनोरंजनात्मक क्लब, पुलिस आउट पोस्ट, पुलिस पोस्ट, पुलिस स्टेशन, फायर पोस्ट, फायर स्टेशन, डाकघर एवं टेलीग्राफ कार्यालय और टेलीफोन एक्सचेंज	पी	पी	पी	पी	पी

[फा. सं. के-12011/9/2016-डीडी-1]

सुनील कुमार, अवर सचिव

**MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT**

(Delhi Division)

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 24th August, 2016

**S.O. 2790(E).**—Whereas certain modifications which the Central Government proposed to make in the Master Plan for Delhi-2021 as part of its review exercise which were published in the Gazette of India, Extraordinary, as Public Notice S.O. 555(E) dated 22.02.2016 by the Delhi Development Authority in accordance with the provisions of Section 44 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) inviting objections/suggestions as required by sub-section (3) of Section 11-A of the said Act, within thirty days from the date of the said notice.

2. Whereas objections/suggestions received with regard to the proposed modifications have been considered by the Board of Enquiry and Hearing, set up by the Development Authority and also approved at the meeting for the Delhi Development Authority.

3. Whereas the Central Government has, after carefully considering all aspects of the matter, decided to modify the Master Plan for Delhi-2021.

4. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 11-A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modifications in the said Master Plan for Delhi-2021 with effect from the date of publication of this Notification in the Gazette of India.

#### MODIFICATION:

##### 1. Amendment in Chapter 8 regarding Development Controls-Govt. Offices

The existing table 8.2 and the notes following it shall be replaced with the following:

Table 8. 2: Planning Standards & Development Controls for Government Land Use Category						
Sl. No.	Category	Pop. / unit (approx.)	Plot Area	Ground Coverage (%)	FAR**	Parking (ECS/ 100 Sq.m Floor Area)
1	District Court, Integrated Office Complex, Government Offices (Central/State Government/ Local Bodies)	As per requirement	Upto 1 Ha.*	50	300	2

#### Other Controls:

- \* For all new allotments only. Land already allotted not covered under this provision.
- \*\* The maximum FAR for Use Premises located in Zone O, and Bungalow Area of Zone C & Zone D, will be 200, along with other provisions given in Zonal Development Plans.
- i. Residential Use – Maximum up to 5% of permissible FAR can be utilized for residential activities.
- ii. Height - No Restriction, subject to clearance from AAI, Delhi Fire Service and other statutory bodies.
- iii. Other controls for setbacks, basement, services plans etc., as per Chapter 17.0 Development Code.
- iv. For intensive utilization of existing Government buildings / land, as mentioned in para 8.2 following will be applicable in case of redevelopment:
  - Utilization of 10% of total permissible FAR for Commercial Uses to make the redevelopment process financially feasible. This shall be subject to approval of land owning agency and concerned local body.
- v. Up to 10% variation in plot size is permitted. Differential norms will be applicable to Special Area, Regularized Unauthorized Colonies, Urban Villages and Resettlement Colonies.
- vi. Public sector Undertaking / Commercial offices to be restricted to 10% of the total floor area.

Table 8. 3: Definitions and Permissible Use Premises in Sub Use Zones			
Sl. No.	Category	Definitions	Activities Permitted
1	Integrated Office Complex / Government Offices (Central / State Government / Local Bodies)	Premises used for the office of Central Government, Local Government and Local Bodies.	Government Offices, Residential (maximum 5% of FAR), Retail shop of Chemist, Book and stationery, Consumer Store, Canteen, Post office, Bank Extension Counter, etc.

2	District Court/ Family Courts	Premises used for the offices of Judiciary.	Court, Residential (maximum 5% of FAR), Canteen, Restaurant, Ancillary services and Retail shop, Library, Dispensary, Administrative offices, Banks, Post offices, Police post, Fire post, Lawyer's chamber.
---	----------------------------------	---	--

2. Amendment in Chapter 13 regarding DEVELOPMENT CONTROLS – Public Semi-Public (Government Use Premises)

Tables 13.10, 13.11, 13.12 and 13.13 shall be replaced with the following:

Sl. No.	Category	Pop. / unit (approx.)	Plot Area	Maximum Ground Coverage (%)	FAR**	Parking (ECS/ 100 Sq.m Floor Area)
1	Traffic and Police control room	As per requirement	1. As per requirement on major road junctions/ stretches etc. as part of road right of way based on site feasibility. 2. Maximum area = 25 sq. m.			N.A.
2	Police Outpost	As per requirement, Permissible in all use premises/ zone, and to be provided in schemes as per requirement.	Upto 150 sq.m.	75	300	1.33
3	Police Post, Fire Post.	1.0 lakh	Upto 2500 sq.m	50	300	2.0
4	Police Station, Fire Station	2.5 lakh	Upto 1 Ha.	50	300	2.0
5	Police Lines, District Office and Battalion	District / One for each administrative zone	Upto 1 Ha.	50	300	2.0
6	District Jail	25.0 lakh	Upto 2 Ha.	50	300	2.0
7	Police Training Institute / College, Fire Training Institute / College, Police Firing Range, Police camp including Central Police Organization / Security Forces, Disaster Management Centre	City level	Upto 5 Ha.	50	300	2.0

Other Controls:

- \*\* The maximum FAR for Use Premises located in Zone O, and Bungalow Area of Zone C & Zone D, will be 120, along with other provisions given in Zonal Development Plans.
- Residential Use – Maximum up to 30% of permissible FAR can be utilized for residential activities. The activities permitted within residential component shall be as per Residential Plot - Group Housing.
  - Height - No Restriction, subject to clearance from AAI, Delhi Fire Service and other statutory bodies.
  - Other controls for setbacks, basement, services plans etc. as per Chapter 17.0 Development Code.
  - For intensive utilization of existing Government buildings / land, as mentioned in para 8.2 following will be applicable in case of redevelopment:



- Utilization of 10% of total permissible FAR for Commercial Uses to make the redevelopment process financially feasible.
- v. Use premises such as National Security Establishments and Disaster Management Units shall be permitted within the categories mentioned in above Table.

**Table 13.11- Deleted**

**Table 13.12- Deleted**

**Table 13.13- Deleted**

**3. New Provisions for Police Outpost and National Security Establishments/ Disaster Management Units in Table No. 13.24 & Table No. 13.25:**

<b>Table No. 13.24: Security Facilities</b>			
<b>S. No.</b>	<b>Use Premises</b>	<b>Definitions</b>	<b>Activities Permitted</b>
<b>11</b>	<b><i>Police Outpost</i></b>	A premise having facilities for providing security and maintaining Law & Order in an area where high foot falls are reported such as Malls, Shopping Complexes, Institutional areas, Rail/Bus/Air terminals etc.	Police Outpost, officers room with facilities for recording NCR (Non Cognizable Report) and storing emergency equipments, dormitory with toilet & bath facilities, kitchen etc.
<b>12</b>	<b><i>National Security Establishments</i></b>	A premise having establishments undertaking issues of National Security or as defined/ notified by GOI from time to time.	First Aid Facility, Emergency Backup, Temporary Communication Centre, Disaster Preparedness, Watch & Ward residence (upto 20 sq.m), if required, and related facilities.

<b>Table No. 13.25: Safety – Fire</b>			
<b>S. No.</b>	<b>Use Premises</b>	<b>Definitions</b>	<b>Activities Permitted</b>
<b>6.</b>	<b><i>Disaster Management Units</i></b>	A premise having establishments undertaking issues of Disaster Management or as defined/ notified by GOI from time to time.	First Aid Facility, Emergency Backup, Temporary Communication Centre, Disaster Preparedness, Watch & Ward residence (upto 20 sq.m.), if required and related facilities.

**Modifications proposed in Table 3.3 & Table 3.4:**

<b>Table 3.3: Hierarchy of Urban Development</b>						
<b>Level</b>	<b>Facilities</b>	<b>Area in sq.m.</b>			<b>To be provided/ indicated</b>	
		<b>No.</b>	<b>Per Unit</b>	<b>Total</b>	<b>LOP</b>	<b>ZP*</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
3. Community Population- 1,00,000	7. Police Post/ Fire Post	1	Upto 2500	Upto 2500	•	

4. District Population- 5,00,000	9. Police Station	2	Upto 1 Ha.	Upto 2 Ha.	•	•
	10. Fire Station (5 to 7 km. radius)	2	Upto 1 Ha.	Upto 2 Ha.	•	•

**Table 3.4: City Level Facilities**

Facilities	No.		Area (in ha.)			
2. District office and battalion	1 for each administrative zone		Upto 1.0			
3. Police Lines			Upto 1.0			
4. District Jail	1	25 lakh population	Upto 2.0			
5. Police Training Institute/ College	City level (To be located in fringe area)		Upto 5.0			
6. Police Firing Range						
7. Police Camp						
10. Fire Training Institute/ College	City level (One site in Urban Extension)		Upto 5.0			
11. Disaster Management Centre	1 for each administrative zone.		Upto 5.0 Ha. including suitable open area (2Ha.) for soft parking, temporary shelter, parade ground etc.			

**4. Amendment for Development Control Norms for Socio-Cultural Activities in Chapter 3 and Chapter 13**

## a. Table 3.3: Hierarchy of Urban Development

Level	Facilities	Area in sq.m.			To be provided/ indicated	
		No.	Per Unit	Total	LOP	ZP*
1	2	3	4	5	6	7
5. Zonal/ Sub-City Population 10,00,000	17. Socio-Cultural Centre	As per requirement			•	

## b. Table 13.16: Planning Norms and Standards for Socio-Cultural Facilities

Sl. No.	Category	Population / unit (approx.)	Plot Area
7	Socio-Cultural Centre	Sub-City Level	As per Requirement

## c. Table 13.17: Development Controls for Socio-Cultural Facilities

Sl. No.	Category	Maximum			Other Controls
		Ground Coverage	FAR	Height	
7	Socio-Cultural Centre	40%	120	NR, subject to approval from AAI, Fire Deptt. and other statutory bodies	1. Parking standard @ 2 ECS / 100 sq. m. of floor area. 2. Socio Cultural activities shall be minimum 40% of floor area. Retail trade, office space/ commercial office, Hotels and related activities shall be upto maximum 60% of floor area.

d. Table 13.27: Socio-Cultural and Community Facilities

Sl. No.	Use Premises	Definitions	Activities Permitted
26	Socio-Cultural Centre	A premise with facilities that promote culture & other activities that include traditions or living expressions such as oral traditions, performing arts, social practices, rituals, festive events, knowledge and practices concerning nature and the universe or the knowledge and skills.	Outdoor spaces / amphitheatre for cultural activities, museums (art, cultural artifacts, natural history, science, community etc.), planetarium, auditorium, exhibition areas, convention centre, literary / film festival, Film centre, Multipurpose training and meeting rooms, Areas for public education, Documentation centre, library, Temporary as well as permanent exhibition areas, commercial office / retail space, Guest rooms, Hotels with permissibility of activities as per Table 13.17 and Table 5.5.

## 5. Amendments in SUB/ CLAUSE 8(2) PERMISSION OF USE PREMISES IN USE ZONES in Chapter 11

Sl.No.	Use Premises	Use Zones				
		RD	C <sub>1</sub>	C <sub>2</sub>	M	PS
PS	<b>PUBLIC AND SEMI PUBLIC FACILITIES</b>					
ix	Facilities – Bus terminal, taxi stand, milk/ vegetable booths, religious premises, vending booth, petrol/ CNG filling pump, recreational club, <b>police outpost</b> , police post, police station, <b>fire post</b> , fire station, post office, & telegraph office and telephone exchange	P	P	P	P	P

[F. No. K-12011/9/2016-DD-I]

SUNIL KUMAR, Under Secy.